UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 3989 / 36सी

दिनांक रानीखेत 13/10 ,2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में सौनी देवलीखेत ड्यौड़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 हैक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक–08बी./यू.सी.पी./06/182/2016/एफ.सी./627 दिनांक 19.07.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है, जिनकी अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्न है

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम असगोली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 हैक्टेयर ग्राम असगोली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो का रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 1117194.00 लाख जमा कर दी गयी है तथा 4.41 हैक्टेयर असगोली सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दी गयी है, जिसकी खतौनी मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण (विभाग द्वारा) भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2000 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की धनराशि ₹ 1448685.00 लाख जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान दर से एन.पी.वी. में बढोतरी हुई तो बढी हुई दरों से एन.पी.वी. जमा कर दी जायेगी। इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. के तहत दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि तथा अन्य निधियॉ तथा क्षतिपूरक की कुल धनराशि रू 2565879.00 लाख (CAMPA) के खाते में Online Portal के माध्यम से चालान Generate कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

डायरी सं० 4287
पत्रावली सं० 151(2)
दिनांक 18-10-2023

क्रमशः पेज–2 पर

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित की जानी है।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा (Central Verge) विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में (Strip Plantation) की जायेगी। इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 5 प्रतियों में।

(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

संलग्नक

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में सौनी–देवलीखेत– ड्यौड़ाखल –सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10.00 से परस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 हैक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

संलग्नक

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में सौनी—देवलीखेत— ड्यौड़ाखल —सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10.00 से परसौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 हैक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ—जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांक: 19/07/2017

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/162/2016/एफ0सी0/627

सेवा में,

मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – अल्मोडा में सौनी–देवलीखेत–ड्योडखाल–सिलोर –महादेव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से पस्तौड़वार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 821/X-4-16/1(245)/2016 दिनांक 12.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/20119/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–अल्मोडा में सौनी–देवलीखेत–ड्योडखाल–सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से पस्तौडवार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम– असगोली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के वाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर वढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में **Online Portal** के माध्यम द्वारा जो चालान **Generate** होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत
23.2.18

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.41 है0 ग्राम– असगोली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 154 से अधिक न हो।
10. सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 30-08-2023 को जनपद अल्मोड़ा में भौनी देवलीखेत उर्पोडाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10.00 से परतौड़ाखाल मोटर मार्ग हेतु सीमांकन क्षतिपूरक वृक्षारोपण बावत ग्राम असगोली पटवारी क्षेत्र - असगोली तहसील द्वाराहाट में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के कार्यालय पत्रांक संख्या 896/12-1(2) दिनांक 18-08-2023 के अनुपालन में वन विभाग राजस्व विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम असगोली के पूर्व में चयनित खसरा नम्बरों का सीमांकन कर पक्के लोहे के खंभे भूमि में लगाये गये।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का सीमांकन आख्या सादर में प्रेषित है।

अमीन
पुष्कर आर्या
प्रा. ख. लो.नि.वि.
रानीखेत

मन मोहन तिवाड़ी
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट

रा० उ०नि०
क्षेत्र असगोली

उमेश लाल साह
अपर सहायक अभियन्ता
प्रा. ख. लो. नि. वि.
रानीखेत

प्रा०ख० लो० नि० वि०
रानीखेत

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(2)

फाईल न० ...3(अ)...

आदेश

दिनांक 21/05/19

जनपद अल्मोड़ा मे तहसील द्वाराहाट के अन्तर्गत सौनी–देवलीखेत–ड्योड़ाखाल–सिलोर–महादेव मोटर मार्ग के 10 कि०मी० से परस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.205 है० वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल–4.410 हैक्टयर सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित /नामान्तरित किये जाने के संबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन मे उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे उपजिलाधिकारी द्वाराहाट के पत्रांक 114/दिनांक 15.02.2019 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के पत्रांक 571 /36 सी. दिनांकः 23.02.2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 11.08.2017 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा उप जिलाधिकारी द्वाराहाट की संस्तुति सहित आख्या सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू० फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/162/2016/एफ.सी./627, दिनांक 19.07.2017 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–असगोली, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–असगोली, तहसील–द्वाराहाट के गै०ज०वि०ख०खा०संख्या–156 की श्रेणी–9(3)ड "बंजर काबिल आवाद" भूमि के पैमायसी खेत नम्बर–1257 का रकवा 0.768, खेत नम्बर 1333 का रकवा 1.374 खेत नम्बर–400 का रकवा 0.668, खेत नम्बर 450 का रकवा 1.293, खेत नम्बर 454 मध्ये 0.307 अर्थात पॉच खेत नम्बरों की कुल 4.410 हैक्टयर सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1745
15/04/19

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या–2802 /ग्यारह–15 /2018–19, दिनांकः 06-05 ~~फरवरी~~, 2019

प्रतिलिपिःनिम्नांकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा।
4– अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि०,रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।
5– तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा।

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

उद्धरण खतौनी मौजा- असगोली

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र- असगोली तहसील द्वाराहाट जिला-अल्मोड़ा

खाता सं0	खातेदार का नाम	भौतिक अधिकार का वर्ष	गाटा सं0	रकवा (है0)	लगान	विवरण
1	2	3	4	5	6	7—12
156.	बंजर काबिल आबाद	1374	4	0.004		जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 2802/उन्नीस-15/2018-19 दिनांक 06-05-2019 के क्रम में खाता सं० 156 के खेत नं० 1257 रकबा 0.768 है० खेत नं० 1333 रकबा 1.374 है० खेत नं० 400 रकबा 0.668 है०, खेत नं० 450 रकबा 1.293 है० खेत नं० 454 रकबा 0.307 है० कुल रकबा 4.410 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की।
			5	0.292		
			11	0.026		
			क्रमश:	क्रमश:		
			387	1.024		ह० रा० उ०नि०
			400	0.680		असगोली
			425	0.026		दि० 11/07/2019
			क्रमश:	क्रमश:		
			450	1.293		
			454	0.375		
		ई०	461	0.025		
			क्रमश:	क्रमश:		
			1255	0.006		
			1257	0.768		
			1264	0.004		
			1267	0.029		
			1276	0.010		
			1283	0.076		
			1333	1.374		
			1342	0.015		
			क्रमश:	क्रमश:		
			1035/19082	0.249		
			3957/19083	0.025		
			18549/19087	0.050		
	योग		1999	156.256		

महोदय,
असल से नकल तैयार किया।

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

18/11/20
राजस्व उपनिरीक्षक

	FP/UK/ROAD/10075/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10075/2015) Construction of Rapar Jeenapani Majera Motor Road	ROAD100752015268	6110075268	11 Sep 2017	CA: 1641591/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2737800/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4379391/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 22 Mar 2018 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 22 Mar 2018 Transaction Date: 28 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311221214121200QPZDemandRaparJeenapaniMajhera.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD100752015268)
10	FP/UK/ROAD/20119/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/20119/2016) Const of Pastorawar motor road from Km 10 of S.D.D.S.M motor road	ROAD201192016198	6120119198	19 Jul 2017	CA: 1117194/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1448685/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2565879/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 26 Feb 2018 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 26 Feb 2018 Transaction Date: 08 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2112412151216KQ7OLDNotePastorawar.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD201192016198)
11	FP/UK/ROAD/21752/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/21752/2016) Const of Ghugti Kelani to Masmoli motor road	ROAD217522016818	6121752818	06 Oct 2017	CA: 528958/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 685908/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1214866/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 15 Jan 2018 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 15 Jan 2018 Transaction Date: 28 Feb 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/111412512140A7Q8GhughutiKelaniMasmoliDemand.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD217522016818)
12	FP/UK/ROAD/18738/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/18738/2016) Const. of Chaubatia Nagpani Deholi motor road	ROAD187382016671	113187382016671	13 Jul 2017	CA: 1892390/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 3156075/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5048465/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 26 Sep 2017 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 26 Sep 2017 Transaction Date: 09 Oct 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/9112211341211BMBF0ChaubatiaNagpaniDeholimotorroad.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD187382016671)

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत